## शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
### परिपत्रक

विषय - सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क / ई-सुविधा शुल्क / विद्यार्थी नोंदणी शुल्क भरणेबाबत तसेच सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून संलग्नीत महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्था तसेच संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / तुकडी बंद करण्याच्या प्रस्तावाबाबत.

शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत संलग्न महाविद्यालये / स्वायत्त महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्था यांनी त्यांच्या महाविद्यालयात / मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये विद्यापीठ मान्यता असलेल्या अभ्यासक्रमासाठी सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क, ई-सुविधा शुल्क तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी नोंदणी शुल्क भरणे आवश्यक आहे. वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क भरण्याच्या तारखा खालीलप्रमाणे आहेत -

| | | |
|---|---|---|
| १. | प्रतिवर्षीप्रमाणे सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाचे नियमित वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क भरणेची अंतिम तारीख (निरंतर संलग्नीकरण मिळाले असले तरी वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क भरणे आवश्यक आहे.) लेखाशिर्षक - A-2-R-1 | दि.३१ जुलै, २०१७ पर्यंत. |
| २. | विलंब शुल्कासह वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क भरण्याची तारीख -<br>१. विहीत शुल्क + विहीत शुल्काच्या १० % विलंब शुल्क | ३१ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत. |
| | २. विहीत शुल्क + विहीत शुल्काच्या २० % विलंब शुल्क | ३० सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत. |
| | ३. विहीत शुल्क + विहीत शुल्काच्या २५ % विलंब शुल्क | ३१ ऑक्टोबर, २०१७ पर्यंत. |
| ३. | उपरोक्त तारखांपर्यंत जी महाविद्यालये वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क भरणार नाहीत ती महाविद्यालये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार योग्य त्या कारवाईस पात्र समजण्यात येतील. | |
| ४ | महाविद्यालय / मान्यताप्राप्त संस्थेस स्वायत्तता प्राप्त झाल्यानंतरही वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क भरणे आवश्यक आहे. तथापि, सदरचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क प्रतिवर्षी न भरता स्वायत्तता प्राप्त झालेल्या कालावधीसाठी एकरकमी शुल्क भरणे आवश्यक आहे. | |
| ५. | पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क स्वतंत्र भरणे आवश्यक आहे. | |
| ६. | संदर्भ क्र.:संलग्नता/टी-२/१९,दि.०५ मे, २०१५ च्या परिपत्रकामध्ये निर्धारित केल्यानुसार वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क भरावे. सदरचे परिपत्रक विद्यापीठाच्या www.unishivaji.ac.in या संकेतस्थळावर BCUD → Affiliation T-2 Circulars या लिंकवर उपलब्ध आहे. | |
| ७. | शासन निर्णय क्रमांक ई सेवा २००६/(१९१/०६)/मशि-१, दि.१९ जून,२००६ नुसार प्रती विद्यार्थी रू.५०/- प्रमाणे प्रतिवर्षी ई-सेवाशुल्क भरणे आवश्यक आहे. सदरचा शासन निर्णय विद्यापीठाच्या www.unishivaji.ac.in या संकेतस्थळावर BCUD → Affiliation T-2 Circulars या लिंकवर उपलब्ध आहे. (लेखा शिर्षक - E-4-R-11) | |
| ८. | विद्यापीठ परिनियम ५९० नुसार पदव्युत्तर महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे नोंदणी शुल्क विहीत केल्यानुसार भरणे आवश्यक आहे. (लेखा शिर्षक - A-2-R-2) | |
| ९. | सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून संलग्नीत महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त संस्था तसेच संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्याशाखा/अभ्यासक्रम/विषय/तुकडी बंद करण्याबाबतचे प्रस्ताव महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम, २०१६ कलम १२१ नुसार विद्यापीठाकडे दि.०१ ऑगस्ट,२०१७ किंवा त्यापूर्वी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहीत शुल्क भरून सादर करणे आवश्यक आहे. तद्नंतर आलेले प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत स्विकारले जाणार नाहीत. | |
| १०. | जी अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर टेक्निकल विद्यापीठाशी (बाटू) संलग्न झाली आहेत, त्या महाविद्यालयांनी तसेच स्वायत्त विद्यापीठ म्हणून दर्जा प्राप्त केलेल्या महाविद्यालयानेसुध्दा सदर महाविद्यालयांचे द्वितीय वर्ष ते अंतिम वर्षापर्यंतचे सर्व अभ्यासक्रम अद्यापि शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न असल्याने सदर अभ्यासक्रमांचे तसेच शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या उर्वरीत अभ्यासक्रमांचे वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क विहीत मुदतीत भरणे आवश्यक आहे. | |

कळावे.

आपला विश्वासू,

कुलसचिव

3016

संदर्भ क्र.: संलग्नता टी-२/ No 2563 - / No 36 = - =
दि. 30 JUN 2017

प्रति,
मा.प्राचार्य/संचालक,
सर्व संलग्न महाविद्यालये/ मान्यताप्राप्त संस्था,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.
प्रत :- १) पात्रता विभाग २) नगदी विभाग

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

परिपत्रक

**विषय** - सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीच्या सुधारीत संलग्नीकरण शुल्कांबाबत.

मा.कुलपतींनी मान्यता दिलेले संलग्नीकरण शुल्कासंदर्भातील सुधारीत दंडक सन २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात आले आहेत. सदरच्या दंडकातील शुल्करचनेत सन २०१५-१६ पासून २०% वाढ लागू करण्यास दि.३१ जुलै, २०१२ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली आहे. तसेच संलग्नीकरण शुल्कांमध्ये तीन वर्षानंतर २०% वाढ करण्यास मा.कुलतींनीही मुळ शुल्करचनेस मंजुरी देताना मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीसाठी २०% वाढ करून येणारी विविध शुल्कांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून सादर होणा-या प्रस्तावांसाठी त्याप्रमाणे शुल्क भरणा करण्यात यावे.

| Sr. No. | Courses / Faculty | Types of Affiliation | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | New Affiliation | Continuation of Affiliation | Extension/ Natural Growth of Affiliation | Permanent Affiliation | Annual Affiliation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Last date as per M.U.A.1994 S.82(3) | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | Last date as per affiliation Rule No.4 |
| 1) | Arts and /or Commerce | Rs. 18,000/- | Rs. 600/- per subject | Up to five subjects Rs. 6,000/- & for every additional subject Rs. 1200/- per subject For additional division Rs. 6000/- per division | a) Rs. 12,000/- per faculty b) Rs. 7200/- up to additional five subjects for permanent affiliation c) Rs. 1200/- per additional subject above five subject | 1) Student less than 500 Rs. 1,800/- 2) Student between 501 to 1000 Rs. 2,400/- 3) Student between 1001 to 1500 Rs. 4,200/- 4) Student more than 1500 Rs. 6,000/- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) | Science | Rs. 24,000 | Rs. 600/- per Subject | Up to five subjects Rs. 6,000/- & for every additional subject Rs. 1200/- per subject<br>For additional division Rs. 6000/- per division | a) Rs. 12,000/- per faculty<br>b) Rs. 7200/- up to additional five subjects for permanent affiliation<br>c) Rs. 1200/- per additional subject above five subject | 1) Student less than 500 Rs. 1,800/-<br>2) Student between 501 to 1000 Rs. 2,400/-<br>3) Student between 1001 to 1500 Rs. 4,200/-<br>4) Student more than 1500 Rs. 6,000/- |
| 3) | Arts, Science & Commerce | Rs. 36000/- | Rs. 600/- per Subject | Up to Seven subjects Rs.12,000/- & for every additional subject Rs. 1200/- per subject<br>For additional division Rs. 6000/- per division | a) Rs. 12,000/- per faculty<br>b) Rs. 7200/- up to additional five subjects for permanent affiliation<br>c) Rs. 1,200/- per additional subject above five subject | 1) Student less than 500 Rs. 1,800/-<br>2) Student between 501 to 1000 Rs. 2,400/-<br>3) Student between 1001 to 1500 Rs. 4,200/-<br>4) Student more than 1500 Rs. 6,000/- |
| 4) | Fine Arts | Rs.60,000/- | Rs. 24,000/- per Subject | Rs. 6,000/- per course | Rs. 12,000/- per course | ____ |
| 5) | Home Science | Rs.18,000/- | Rs.600 /- per Subject | Rs. 1,200/- per course | Rs. 18,000/- per course | ____ |

**Non- Aided Professional Colleges, Non-Aided Engineering, B.Pharmacy, Education.**

**Amended Ordiance 130 (i) (A)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Education | | | | | |
| | a) B.Ed. | Rs. 90,000/- | Rs. 36,000/- | For extension Rs. 36,000/-<br>For additional division Rs. 36,000/- | a) Rs.48,000/- for first permanent affiliation<br>b) Rs. 6,000/- per additional method after first permanent affiliation | Rs. 18,000/- per Division |
| | b)B.A.B.Ed. /B.Sc. B.Ed. | Rs. 90,000/- | Rs. 18,000/- | For Natural Growth Rs. 18,000/-<br>For additional division Rs. 18,000/- | a) Rs.12,000/- for first permanent affiliation<br>b) Rs. 7,200/- up to additional five subject after first permanent affiliation<br>c) Rs. 1200/- per additional subject above five subjects | Rs. 18,000/- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | c) B.P.Ed. | Rs. 90,000/- | Rs. 6,000/- | Rs. 6,000/- For additional division Rs. 6,000/- per division | Rs.12,000/- | Rs.2400/- |
| 2) | A) Law | Rs. 60,000/- (Each Course) | Rs. 6,000/- (Each Course) | For Natural Growth Rs. 6,000/- Each course (each Course means three years course & five years course) For per Additional division Rs. 6,000/- | a) Rs.15,000/- per course b) Rs. 6,000/- per course per subject after first permanent affiliation | Rs. 12,000/- |
| | B) DIT, DLL Like post HSC Diploma Course | Rs. 6,000/- per Course | Rs. 3,600/- per Course | N.A | N.A. | Rs. 1,800/- |
| 3) | Professional Course Degree Level (BBA, BCA, BCS, B.SC. (Bio-technology), B.Sc. (Bio-informatics) etc. | Rs. 30,000/- per Course | Rs. 14,400/- per course | For Natural Growth Rs. 12,000/- per Course | Rs. 30,000/- per course Per division | Up to 500 Student Rs. 2,400/- 501 to 1000 Rs. 4,800/- 1001 to 1500 Rs. 7,200/- More than 1500-Rs.9,600/ |
| 4) | B.S.W. | Rs. 18,000/- | Rs. 12,000/- | | Rs. 18,000/- | Rs. 12,000/- |
| 5) | Engineering | Rs.2,40,000/- per Course | Rs. 18,000/- Per Division per Branch i.e. division means intake of 60 Students and Rs. 60,000/- per Branch for New Branch | For Natural Growth Rs. 18,000/- per division per branch For every New Branch Rs. 60,000/- per division | Rs. 18,000/- per branch per division. | Up to 1000 Student Rs. 12,000/- 1001 to 1500 Rs. 18,000/- 1500 to 2000 Rs. 24,000/- 2001 to 2500 Rs. 28,000/- 2501 and above Rs.36,000/- |
| 6) | Architecture | Rs.2,40,000/ | Rs. 30,000/- | Rs. 18,000/- for Natural Growth Rs. 12,000/- for new branch | Rs. 48,000/- per branch per division | Rs. 24,000/- |
| 7) | Pharmacy | Rs.2,40,000/ | Rs. 30,000/- | Rs. 21,600/- for Natural Growth Rs. 60,000/- for new branch | Rs. 60,000/- per branch per division | Rs. 24,000/- |
| 08) | Carrier Oriented Courses | | | | | |
| | 1. Certificate Course | Rs. 1200/- Per Course | Rs. 600/- Each Course | N.A. | N.A. | N.A. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Diploma Course | Rs. 1800/- Per Diploma | Rs. 1200/- Each Course | N.A. | N.A. | N.A. |
| | 3. Advanced Diploma Course | Rs. 2,400/- per Adv. Diploma | Rs. 1200/- Each Course | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09) | B.J.C. | Rs. 36,000/- | Rs. 18,000/- | N.A. | Rs. 36,000/- | Rs. 18,000/- |
| 10) | Non Conventional Courses (B.D.F.C., B.F.T.M., B.I.D., D.I.D.D.) | Rs. 30,000/- Per Course Per Division | Rs. 14,400/- Per Course Per Division | For Natural Growth Rs. 12,000/- Per Course Per Division For additional division Rs. 30,000/- for 1st year and for 2nd & 3rd year Rs. 12,000/- each | Rs. 30,000/- per course per division | Rs. 24,000/- |

**Amended Ordinance No.151**

| Sr. No. | Courses / Faculty | Types of Affiliation | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | New Affiliation | Continuation of Affiliation | Extension/ Natural Growth of Affiliation | Permanent Affiliation | Annual Affiliation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Last date as per M.U.A.1994 S.82(3) | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | Last date as per affiliation Rule No.4 |
| 1) | M.A./M.Com. | a)Rs.12,000/- per subject | a) Rs.2,400/- per subject | a) Rs.2,400/- per subject | a)Rs.12,000/- per subject | 1) Student less than 500 Rs. 1,800/- 2) Student between 501 to 1000 Rs. 2,400/- 3) Student between 1001 to 1500 Rs. 4,200/- 4) Student more than 1500 Rs. 6,000/- |
| | M.Sc. | b) Rs.24,000/- per subject | b) Rs.6,000/- per subject | b)Rs.6,000/- per subject | b) Rs. 30,000/- per subject | 1) Student less than 500 Rs. 1,800/- 2) Student between 501 to 1000 Rs. 2,400/- 3) Student between 1001 to 1500 Rs. 4,200/- 4) Student more than 1500 Rs. 6,000/- |
| 2) | M.S.W. | Rs. 24,000/- | Rs. 18,000/- | For Natural Growth Rs. 14,400/- For Extension Rs. 18,000/- | Rs. 24,000/- | Rs. 12,000/- |
| 3) | M.E. | Rs. 24,000/- per branch per subject | Rs. 12,000/- per branch per subject | Rs. 12,000/- per branch per subject | Rs. 36,000/- per branch per subject | Rs.24,000/- |
| 4) | M. Text. | Rs. 24,000/- per branch per subject | Rs. 12,000/- per branch per subject | Rs.12,000/- per branch per subject | Rs.36,000/- per branch per subject | Rs.24,000/- |
| 5) | M. Arch. | Rs.24,000/- per branch per subject | Rs. 12,000/- per branch per subject | Rs.12,000/- per branch per subject | Rs.36,000/- per branch per subject | Rs.24,000/- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) | M. Pharm. | Rs.24,000/- per branch per subject | Rs. 12,000/- per branch per subject | Rs.12,000/- per branch per subject | Rs.36,000/- per branch per subject | Rs.24,000/- |
| 7) | M.C.A. (Commerce/ Science/ Engineering Faculty) | Rs.1,20,000/- per course | Rs. 36,000/- per course | For Natural Growth Rs. 36,000/- per course For every new branch Rs. 60,000/- | Rs.1,20,000/- per course per division | Rs.24,000/- |

Amended Ordinance No.151(A)

| Sr. No. | Courses / Faculty | Types of Affiliation | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | New Affiliation | Continuation of Affiliation | Extension/ Natural Growth of Affiliation | Permanent Affiliation | Annual Affiliation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Last date as per M.U.A.1994 S.82(3) | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | The application should reach on or before 31st August of the preceding year | Last date as per affiliation Rule No.4 |
| 1. | M.Ed. | Rs. 60,000/- | Rs. 30,000/- | N.A. | Rs.1,20,000/- | Rs. 24,000/- |
| 2. | M.P. Ed. | Rs.24,000/- | Rs. 12,000/- | Rs.12,000/- | Rs.48,000/- | Rs.6,000/- |
| 3. | L.L.M. | Rs.18,000/- | Rs. 6,000/- | Rs. 6,000/- | Rs.24,000/- | Rs.12,000/- |
| 4. | P.G.D.M.L.T. | Rs.1,20,000/- | Rs. 30,000/- | N.A. | ---------- | Rs. 24,000/- |
| | Management Studies | | | | | |
| 5. | A) M.B.A. | Rs.1,20,000/- per course | Rs. 36,000/- per course | For Natural Growth Rs.36,000/- per course For every new branch Rs. 60,000/- | Rs.1,20,000/- per course per division | Rs. 24,000/- |
| | B) M.M.S. | Rs.1,20,000/- per course | Rs. 36,000/- per course | For Natural Growth Rs.36,000/- per course For every new branch Rs.60,000/- | Rs.1,20,000/- per course per division | Rs. 24,000/- |
| | C) Diploma Course (DBM, DPM, DHRM, DCM, DHM, DMM etc.) | Rs. 30,000/- per course | Rs. 24,000/- per course | Rs.24,000/- per course | Rs.24,000/- per course | Rs.12,000/- |
| 6. | Non professional Diplomas other than Management | Rs. 24,000/- Each Diploma | Rs.14,400/- Each Diploma | N.A. | Rs.24,000/- Each Diploma | Rs.12,000/- |
| 7. | Professional Diplomas other than Management studies (DCM, DCA, DIT, DCP, DCS, etc.) | Rs. 24,000/- per course | Rs. 14,400/- per course | N.A. | Rs.24,000/- Each Diploma | Rs.12,000/- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Certificate/ Bridge Course (Non professional / professional)** | **Rs. 12,000/- Each course** | **Rs. 6,000/- Each course** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |
| **9.** | **Courses other than professional, Educational and Law** | **Rs. 12,000/-** | **Rs. 6,000/-** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** |
| **10.** | **For Research Institutes/Colleges** | | | | | |
| | **A) Institutes /Colleges Teaching/ guiding other courses M. Phil., Ph.D., M.Sc. (T.&D.) by research, M. Pharm., M. Text.etc.)** | **Rs. 60,000/-** | **Rs. 6,000/- per course** | **Rs. 6,000/- per course for Natural Growth** | — | — |
| | **B) Recognition of Laboratory for research (Non Affiliated)** | **Rs. 90,000/- (per branch subject)** | **Rs. 6,000/- Per Lab.** | **N.A.** | **N.A.** | — |
| | **C) Institute/ colleges Teaching/ guiding M.Phil., Ph. D** | **Rs. 12,000/- per subject** | **Rs. 6,000/- per subject** | **N.A.** | **Rs.12,000/- per subject** | — |
| **11.** | **P.G. Diploma under Innovative Programme** | **Rs. 24,000/- per course** | **Rs. 6,000/- per course** | **N.A.** | **Rs. 24,000/-** | — |
| **12.** | **Bifurcation of Institute** | **Rs.1,20,000/-** | **N.A.** | **N.A.** | **N.A.** | — |
| **13.** | **M.J.C.** | **Rs. 36,000/-** | **Rs. 18,000/-** | **Rs.18,000/-** | **Rs. 36,000/-** | **Rs. 18,000/-** |

II) बी.ए., बी.कॉम. ,बी.एस्सी. व एम.ए., एम.कॉम., एम.एस्सी.साठी प्रत्येक वर्गातील वाढीव विदयार्थी संख्या -रू.७२०/- , तात्पुरती तुकडी - रू.१२००/- प्रती तुकडी

१. पदव्युत्तर वर्गातील विद्यार्थ्यांचे नोंदणी शुल्क प्रत्येकी रु.५०/- प्रमाणे भरणे आवश्यक आहे.

## सुरू असलेला विषय / विद्याशाखा बंद /पुन्हा चालू करण्यासाठीची शुल्के

### पदवीस्तर

| अ. क्र. | विद्याशाखा | सुरु असलेला विषय / विद्याशाखा बंद / पुन्हा चालू करण्यासाठीचे प्रस्ताव शुल्क | महाविद्यालय / मान्यताप्राप्त संस्थेने सुरु असलेला विषय / विद्याशाखा परस्पर बंद केल्यास भरावयाचा दंड (प्रतिवर्षी प्रती विषय / विद्याशाखा) |
|---|---|---|---|
| १ | कला, वाणिज्य, विज्ञान | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| २ | फाईन आर्टस् | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| ३ | होम सायन्स | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| ४ | बी.एड | रु. ३६,०००/- | रु. ६०००/- |
| ५ | बी.ए. बी.एड /बी.एस्सी,बी.एड | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| ६ | बी.पी.एड | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| ७ | विधी (प्रती अभ्यासक्रम) | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| ८ | डि आय. टी.,डि.एल.एल.इ. | रु. ३६००/- | रु. १२००/- |
| ९ | व्यावसायिक अभ्यासक्रम (बी.बी.ए.,बी.सी.ए, बी.सी.एस.,बी.एस्सी बायोटेक्नॉलॉजी, बायाइनफारमेटीक्स इ.) | रु. १४,४००/- | रु. २४००/- |
| १० | बी.एस.डब्लू. | रु. १२,०००/- | रु. १२००/- |
| ११ | अभियांत्रिकी (प्रती शाखा/ ब्रॅच | रु. १८,०००/- | रु. ६०००/- |
| १२ | आर्किटेक्चर (प्रती शाखा) | रु. ३०,०००/- | रु. ६०००/- |
| १३ | फार्मसी (प्रती शाखा (ब्रॅच)) | रु. ३०,०००/- | रु. ६०००/- |
| १४ | बी.जे.सी. | रु. १८,०००/- | रु. १२००/- |
| १५ | नॉन कन्व्हेन्शनल कोर्सेस | रु. १४,४००/- | रु. २४००/- |

### पदव्युत्तर

| अ.क्र. | विद्याशाखा | सुरु असलेला विषय / विद्याशाखा बंद / पुन्हा चालू करण्यासाठीचे प्रस्ताव शुल्क | महाविद्यालय / मान्यताप्राप्त संस्थेने सुरु असलेला विषय / विद्याशाखा परस्पर बंद केल्यास भरावयाचा दंड (प्रतिवर्षी प्रती विषय / विद्याशाखा) |
|---|---|---|---|
| १ | एम.ए., एम. कॉम. | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| २ | एम. एस्सी. | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| ३ | एम.एस.डब्ल्यू | रु. १८०००/- | रु. १२००/- |
| ४ | एम.ई. (प्रती शाखा प्रती विषय) | रु. १२०००/- | रु. ६०००/- |
| ५ | एम.टेक्स्ट (प्रती शाखा) | रु. १२,०००/- | रु. ६०००/- |
| ६ | एम.आर्च (प्रती शाखा प्रती विषय) | रु. १२,०००/- | रु.६०००/- |
| ७ | एम.फार्मसी (प्रती विषय) | रु. १२,०००/- | रु.६०००/- |
| ८ | एम.सी.ए. (कॉमर्स, सायन्स, इंजिनिअरींग) | रु. ३६,०००/- | रु.६०००/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ९ | एम.एड ( प्रती तुकडी) | रु. ३०,०००/- | रु. ६०००/- |
| १० | एम.पी.एड( प्रती तुकडी) | रु. १२,०००/- | रु. १२००/- |
| ११ | एल.एल.एम. | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| १२ | एम.बी.ए. ( प्रती तुकडी) | रु. ३६,०००/- | रु. ६०००/- |
| १३ | एम.एम.एस. ( प्रती तुकडी) | रु. ३६,०००/- | रु. ६०००/- |
| १४ | पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम (व्यावसायिक) | रु. १४,४००/- | रु. १२००/- |
| १५ | पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम (बिगर व्यावसायिक) | रु. १४,४००/- | रु. १२००/- |
| १६ | ब्रिज कोर्स (प्रती कोर्स) | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |
| १७ | पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम (विधी शिक्षण शास्त्र व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त) | रु. ६०००/- | रु. १२००/- |

कळावे,

आपला विश्वासू,

संचालक, 02/05/15

महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळ

संदर्भ क्र.: संलग्नता टी-२/ 19

दि. 5 MAY 2015

प्रति,

मा.प्राचार्य / संचालक,

सर्व संलग्न महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त संस्था,

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध
शैक्षणिक संस्थांमार्फत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व
विद्यार्थ्यांना "ई-सुविधा" उपलब्ध करुन देण्याबाबत

**महाराष्ट्र शासन**
**उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,**
**शासन निर्णय, क्रमांक : ईसेवा २००६/(१११/०६)/मशि-१,**
**मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२.**
**दिनांक : १९ जून, २००६.**

**प्रस्तावना :-** राज्यातील उच्च, तंत्र व कला शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित विविध शैक्षणिक माहिती, प्रशासकीय माहिती, तसेच स्पर्धा परीक्षा व रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधीची माहिती आवश्यक असते. सदर माहिती एकाच ठिकाणी व एकाच वेळी उपलब्ध नसल्याने ती प्राप्त करुन घ्यावयास विद्यार्थ्यांना श्रम, वेळ व पैसा खर्च करावा लागतो. विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या या विविध अडचणी विचारात घेता विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सदर व अन्य विविध सुविधा तसेच एकविसाव्या शतकातील आधुनिक शिक्षण प्रणालीचा लाभ महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी अभिनव "ई-सुविधा" उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सदर ई-सुविधामध्ये विद्यार्थ्यांशी निगडीत वेगवेगळया योजनांची माहिती, शैक्षणिक बाबी, प्रशासकीय सुविधा, इत्यादि अपेक्षित आहेत.

या "ई-सुविधा" सर्व अकृषी विद्यापीठे, त्यांच्या अखत्यारित येणारी सर्व संबधित महाविद्यालये आणि तंत्रनिकेतनामार्फत विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक आहे. या ई-सुविधांतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवेशासाठी लागणाऱ्या माहितीपासून पदवी/पदविका प्रदानांपर्यन्तच्या माहितीचा समावेश टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध संस्था, त्यामधील अभ्यासक्रम, शिष्यवृत्या अन्य सवलतींचे अर्ज, विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे अर्ज, स्पर्धा परीक्षांचे अर्ज, परीक्षांची वेळापत्रके, मागील वर्षातील प्रश्नपत्रिका, निकाल प्रमाणपत्र इत्यादी अनेक सुविधा देता येणे शक्य होईल.

या ई-सुविधांमुळे उच्च गुणवत्तेच्या शैक्षणिक सेवा विद्यार्थ्यांना माफक शुल्कात मिळाल्यामुळे त्याबाबतच्या त्यांच्या खर्चात तसेच वेळेत बचत होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्षातील विविध टप्प्यातील माहितीच्या उपलब्धतेतील विलंब टळून, त्याचा नाहक त्रास दूर होऊ शकेल. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही शहरी विद्यार्थ्यांप्रमाणे सुविधा उपलब्ध होऊन करीअरच्या समान संधी त्यांना प्राप्त करुन देण्याचा प्रयत्न करता येईल.

सदर प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाची स्थापना देखील यापूर्वी शासनाने या विभागांतर्गत केली आहे. सदर महामंडळाने उपरोक्त सुविधा देण्याकरिता डिजिटल युनिव्हर्सिटी, डिजिटल कॉलेज व डिजिटल डायरेक्टरेट या तीन सॉफ्टवेअर प्रणाली आतापर्यंत विकसित केल्या आहेत. सदर ई सुविधांसाठी विद्यापीठ व संचालक पातळीवर अत्याधुनिक सर्व्हर यंत्रणा विद्यापीठ व संचालनालयाद्वारे कार्यान्वित करुन ते सर्व महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन सह संचालकांच्या कार्यालयांच्या सर्व्हरना जोडणे अपेक्षित आहे.

या संदर्भात राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु, विभागांतर्गत येणाऱ्या संचालनालयाचे प्रतिनिधी आणि सदर महामंडळाचे पदाधिकारी यांच्या समवेत मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांनी दिनांक ०६ जून, २००६ रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत एकमताने ठरविल्याप्रमाणे उच्च व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना उपरोक्त विविध सुविधा माफक शुल्क आकारुन उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :** उपरोक्त पार्श्वभूमीवर चालू शैक्षणिक वर्षापासून (सन २००६-०७) विद्यार्थ्यांना "ई-सुविधा" महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व अकृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न शासकीय/अशासकीय अनुदानित/विना अनुदानित/कायम स्वरुपी विना अनुदानित अशा सर्व महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन व अन्य शैक्षणिक संस्थांमार्फत संचालित करण्यात येणाऱ्या पदवी/पदविका/पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता सन २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या प्रतिवर्षी प्रतिविद्यार्थी रुपये ५०/- (अक्षरी रुपये पन्नास फक्त ) याप्रमाणे शुल्क इतर शुल्क या शीर्षाखाली "ई-सेवा शुल्क" म्हणून आकारण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

२. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, प्रथम सन २००६-०७ मध्ये वरीलप्रमाणे शुल्क आकारण्याची सुरुवात करुन त्यानंतर नैसर्गिक वाढीने पदवी/पदविका/पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत सदर शुल्क प्रतिवर्षी आकारण्यात येईल. अशा प्रकारे जमा होणारे "ई-सेवा शुल्क" संबंधीत महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून जमा करुन ते विद्यापीठाकडे जमा करावे व ज्या महिन्यात "ई-सेवा शुल्क" जमा केले असेल त्याच्या पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत प्रत्येक विद्यापीठाने ही रक्कम एकत्रित स्वरुपात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळास प्रति विद्यार्थी रु.५०/- प्रमाणे प्रत्यक्ष अदा करावी.

३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर तपशील संबंधित विद्यापीठ व महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ यांच्या दरम्यान परस्पर सामंजस्याचा करार करुन त्यामध्ये समाविष्ठ करण्यात यावा, असे आदेश देण्यात येत आहे. तसेच सदरचा सामंजस्याचा करार हा दि. ३०/०६/२००६ पर्यंत करुन त्यामधील तरतूदीची माहिती सर्व संबंधित शैक्षणिक संस्थांना सत्वर करुन देण्यात यावी. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी दि. १५ ऑगस्ट, २००६ पासून सर्वत्र करण्यात यावी. सदरची संपूर्ण प्रक्रिया रितसर व पारदर्शीपणे करारातील विहित पध्दतीनुसार राबविण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित संस्था व अधिकाऱ्यांची राहील.

४. सदर निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३८२/२००६/व्यय-५, दि.१५ जून.२००६ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(सु. न. जोशी)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति
१) मा.कुलपती व राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई
२) शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
४) संचालक (व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
५) संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
६) संचालक (कला) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
७) मा.कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे,
८) मा.कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे,
९) सर्व विभागीय सहसंचालक/ उपसंचालक, उच्च शिक्षण / तंत्र शिक्षण / व्यवसाय शिक्षण
१०) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
११) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
१२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित, सेनापती बापट मार्ग, पुणे-४११ ०१६.
१४) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण/ मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक,
१५) वित्त विभाग/ नियोजन विभाग,
१६) सर्व उप सचिव / अवर सचिव व उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१७) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने,
१८) निवडनस्ती, मशि-१.

C:\MYDOCU~1\mkcl-gr.doc